49

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 154–दो/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–1–15 पारित द्वारा तहसीलदार तहसील मल्हारगढ़ प्रकरण कमांक 108/अ–6/13–14.

रामलाल पिता कालुराम मोदी
निवासी महावीर गंज पिपल्या मण्डी
तहसील मल्हारगढ़ जिला मन्दसौर .....आवेदक

विरूद्ध

1– गीतादेवी पति सुरेशचन्द जायसवाल
निवासी अशोक मार्ग, बंगला नं. 55 नीमच
जिला नीमच

2– बीनुबाई पति गोवर्धनलाल जाट
निवासी पिपल्या पंथ
तहसील मल्हारगढ़ जिला मन्दसौर .....अनावेदकगण

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: **आ दे श** ::

(आज दिनांक 8/6/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार मल्हारगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–1–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका कमांक 1 गीतादेवी द्वारा तहसीलदार, मल्हारगढ़ के समक्ष संहिता की धारा 109, 110 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम पिपल्या पंथ स्थित सर्वे कमांक 382 पैकी कुल क्षेत्रफल 116.12 वर्गमीटर अनावेदिका कमांक 2 से विकय पत्र दिनांक 10–2–2014 से कय की गई है । अतः प्रश्नाधीन भूमि पर उसका नामांतरण किया जाये । तहसीलदार द्वारा

प्रकरण कमांक प्रकरण कमांक 108/अ–6/13–14 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक की ओर से संहिता की धारा 32 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 16–1–15 को आदेश पारित कर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों के विपरीत आवेदक को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना आदेश पारित करने में महान त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि आवेदक की ओर से सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे, जो प्रकरण के न्याय निराकरण के लिए महत्वपूर्ण थे, किन्तु तहसीलदार द्वारा इन महत्वपूर्ण तथ्यों को अनदेखा करते हुए आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में अवैधानिकता की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक की ओर से तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 32 के आवेदन पत्र में व्यवहार न्यायालय में प्रकरण कमांक 117ए/2012 लंबित होने का उल्लेख किया गया है, जिसमें साक्ष्य प्रस्तुत करना है, जिससे प्रकरण की वास्तविकता स्पष्ट होगी, किन्तु तहसीलदार द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं आदेश पारित करने में गंभीर भूल की गई है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदिका 1 द्वारा प्रश्नाधीन भूमि अनावेदिका कमांक 2 से कय की गई है, और नामांतरण हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार के समक्ष आवेदक द्वारा नामांतरण प्रकरण से हटकर रास्ते के संबंध में साक्ष्य की मांग की गई है, जो कि अनुचित कार्यवाही है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया आवेदक द्वारा व्यवहार न्यायालय से कोई स्थगन प्राप्त नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के समक्ष आवेदक द्वारा इस आधार पर उनके समक्ष प्रचलित कार्यवाही स्थगित करने संबंधी आवेदन पत्र दिया गया था कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में व्यवहार वाद प्रचलित है, जबकि व्यवहार वाद अन्य भूमि के संबंध में प्रस्तुत किया

गया है । इसके अतिरिक्त आवेदक की ओर से व्यवहार न्यायालय से किसी प्रकार का कोई स्थगन प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, इसलिये उनका आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार मल्हारगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–1–15 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर